



# दैनिक जागरण

मुख्य कोच रवि शास्त्री को दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है >> 12



**सरोकार**

**वेजोड़ है प्राथमिक शिक्षा का बलिया मॉडल**

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएं एक बारागी कान्वेंट स्कूल से भी बेहतर दिखती हैं। प्रधानाध्यापक उमेश सिंह के प्रयासों से बलिया जिले के नवीन प्राथमिक विद्यालय करमपुर में बुनियादी शिक्षा का ऐसा वातावरण बना है, जो दूसरों के लिए आदर्श है। (पेज-13)

**जागरण विशेष**

**विरासत के पाले में कवड्डी की परंपरा**

बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का जिक्र किए बिना खेलों की बात अधूरी है। जिले के फखरपुर और बसी गांव के युवाओं को तो यह खेल विरासत में मिला है। बेटों के साथ बेटियों के दिन की शुरुआत भी कवड्डी की सीटी सुनकर ही होती है। (पेज-13)

**न्यूज गैलरी**

**राज-नीति** ▶ पृष्ठ 4

**महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी**

मुंबई : कांग्रेस ने महाराष्ट्र विस चुनाव के लिए रविवार को 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस-राकपा पहले ही 124-124 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। शिवसेना ने भाजपा से गाठवरण की घोषणा से पहले ही कई नेताओं को पर्व भरने के लिए जरूरी एबी फॉर्म बांट दिए हैं।

**नेशनल न्यूज** ▶ पृष्ठ 6

**राजस्थान में डोडा-पोस्त के धंधे में लिफत हैं कई नेता-अफसर**

जयपुर : राजस्थान में डोडा-पोस्त की पंजाब और अन्य राज्यों में तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू कर दी है। पता चला है कि चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में डोडा-पोस्त के अंधे कारोबार को जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों ने जमकर संरक्षण दिया है।

**बिजनेस** ▶ पृष्ठ 10

**भारत में सात लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा सऊदी अरब**

नई दिल्ली : दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक सऊदी अरब भारत में 100 अरब डॉलर ( करीब सात लाख करोड़ रुपये) का निवेश करेगा। यह निवेश मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर और खनन समेत कई अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। भारत में सऊदी अरब के राजदूत डॉ. सऊद बिन मुहम्मद अल सती ने कहा, उनके देश के लिए भारत बेहद आकर्षक निवेश बाजार है।

**अंतरराष्ट्रीय** ▶ पृष्ठ 11

**हांगकांग में फैली हिंसा, कई स्थानों पर पुलिस से भिड़े लोग**

हांगकांग : हांगकांग में रविवार को पूरे दिन प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव होता रहा। कई स्थानों पर भड़के विरोध प्रदर्शनों को जब पुलिस ने पानी की बौछार, स्तर बूलेट और आंसू गैस से काबू करने की कोशिश की तो उसे पेट्रोल बमों और पत्थरों से जवाब दिया गया। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर आने से पुलिस को लेने के देर पड़े गए।

**जताई आपत्ति**

सैन्य अधिकारियों ने कहा, परिचालन नियंत्रण में बदलाव होने से चीन सीमा पर निगरानी होगी प्रभावित, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर पीएम की अध्यक्षता वाली समिति को करना है विचार

**असम राइफलस से पूर्ण नियंत्रण छीनना ठीक नहीं : सेना**

नई दिल्ली, प्रेटर : सेना ने असम राइफलस के परिचालन नियंत्रण को गृह मंत्रालय के अधीन किए जाने के प्रस्ताव पर गंभीर चिंता जताई है। सेना का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव से चीन से लगती सीमा पर निगरानी के काम को गंभीर खतरा पैदा होगा। सेना का यह भी कहना है कि वह सीमा पर अपने सुरक्षा ढांचे में व्यापक सुधार कर रही है, ऐसे में इस बदलाव से उसके सुधार कार्यों पर भी असर पड़ेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत असम राइफलस पर प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, जबकि उसका परिचालन नियंत्रण सेना के अधीन है।



असम राइफलस के जवान। फाइल फोटो

सैन्य सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते सेना ने रक्षा मंत्रालय के समक्ष अपनी चिंता को रखते हुए उससे इस मामले में हस्तक्षेप करने को भी कहा था। सेना का कहना है कि 185 साल पुरानी असम राइफलस का परिचालन नियंत्रण गृह मंत्रालय को सौंपने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने असम राइफलस को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के साथ मिलाने और उसका परिचालन नियंत्रण पूरी तरह से उसके हवाले करने का प्रस्ताव तैयार किया है। पीएम की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) जल्द

असम राइफलस के जवान। फाइल फोटो

शामिल होती है। सूत्रों ने बताया कि थलसेना चीन सीमा पर सैन्य ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। इस स्थिति में असम राइफलस के परिचालन नियंत्रण को गृह मंत्रालय के हवाले करने से सेना की क्षमता पर असर पड़ेगा। असम राइफलस की सहायता के चलते सेना खुद को सीमा पर निगरानी के कार्यों पर पूरी तरह से केंद्रित रखती है। इसके अलावा असम राइफलस के 70-80 फीसद जवानों को सैन्य कार्यों में तैनात किया जाता है। सेना जब अग्रिम सीमा पर लड़ती है तो असम राइफलस सीमा की सुरक्षा के काम को सही तरीके से संभालती है। अधिकारी ने बताया कि असम राइफलस सही मायने में असली अर्धसैनिक बल है जिसने 1962 और 1971 के युद्ध समेत सभी लड़ाइयों में सक्रिय भूमिका निभाई है। असम राइफलस में अभी 48 बटालियन हैं और उसकी ज्यादातर इकाइयों का नियंत्रण सेना के अधिकारियों के हाथों में है। सेना ने अर्ध सैनिक बल को गृह मंत्रालय के अधीन लाने के प्रस्ताव के समय पर सवाल उठाए हैं, जब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था गंभीर स्थिति में है।

**युवाओं को नशे से बचाने के लिए लगाया ई-सिगरेट पर प्रतिबंध : मोदी**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ई-सिगरेट पर रोक युवाओं को नशे की इस नई लत से बचाने तथा परिवारों को तबाह होने से बचाने के लिए लगाई गई है। युवा फैशन के नाम पर इसके जाल में फंस जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात रविवार को 'मन की बात' में की। उन्होंने रेडियो प्रोग्राम में जाँगिंग करते हुए मोदी ने कहा कि ई-सिगरेट के 'प्लॉगिंग' अभियान की भी सरहना की। सरकार ने हाल में ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध का एलान किया है। इसका जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि ई-सिगरेट के बारे में यह भ्रांति फैलाई गई है कि इससे कोई खतरा नहीं है। सच यह है कि इसमें कई खतराकारक केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनका स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। फैशन के चक्कर में युवा इसके जाल में फंसकर जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध जरूरी था।

मोदी ने दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के संकल्प की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिस प्रकार भारत ने दुनिया में बढ़त ली है, उससे सभी देशों को नजरें हमारी ओर टिकी हैं। देश के एक नौजवान रिपुदमन बेल्वी ने अनोखा 'प्लॉगिंग' अभियान चलाया है। जिसमें कसरत के साथ-साथ सफाई भी हो जाती है। जाँगिंग पर निकले लोग गस्ते में पड़ा कचरा भी हटाते जाते हैं। मोदी ने सभी देशवासियों से इसका हिस्सा बनने व देश को स्वच्छ बनाने में योगदान करने को कहा। मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता एवं 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के लिए 'रन फॉर यूनिटी' दौड़ में शामिल होने की भी सभी लोगों से अपील की।

**मन की बात**

फैशन के नाम पर नशे का शिकार हो रहे युवाओं पर जताई चिंता

जाँगिंग के साथ कचरा बीनने के 'प्लॉगिंग' अभियान की सरहना की



'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (आकाशवाणी के टि्वटर पे)

शुभकामनाएं देते हुए मोदी ने कहा, इस बार सब लोग जरूरतमंदों के साथ अपने घर की अतिरिक्त वस्तुओं और खाने-पीने का सामान बांटकर त्योहार मनाएं तो सच्ची खुशियां हमिल होंगी। त्योहारों का असली आनंद तभी है जब सब ओर उजाला फैले।

ने समाज में उल्लेखनीय कार्य कर रही बेटियों, बहुओं को लक्ष्मी मानकर सम्मानित करने तथा उनकी उपलब्धियों को सोशल मीडिया बांटकर त्योहार मनाएं तो सच्ची खुशियां हमिल होंगी। त्योहारों का असली आनंद तभी है जब सब ओर उजाला फैले।

करें घर को लक्ष्मी का सम्मान : मोदी

**कश्मीर में कहीं कोई पाबंदी नहीं : शाह**

**खरी-खरी** ▶ कश्मीर समस्या को यूएन में ले जाना नेहरू की हिमालय से भी बड़ी भूल

कहा, अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संविधान सम्मत, विपक्ष फैला रहा भ्रम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में पाबंदियों को लेकर सवाल उठा रहे लोगों, खासकर विपक्ष को कथर जवाब दिया है। शाह ने रविवार को यहां कहा कि कश्मीर में कहीं कोई पाबंदी नहीं है। अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई के पहले गृहमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि इसे हटाने का फैसला पूरी तरह संविधान सम्मत है। कश्मीर समस्या के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए शाह ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में जाने को हिमालयी भूल से भी बड़ी गलती करार दिया।



नई दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते अमित शाह। जागरण डॉट कॉम

तीन मूर्ति भवन में पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच की पांचवी व्याख्यान माला में शाह ने कहा, विपक्ष कश्मीर में प्रतिबंधों को लेकर भ्रम फैला रहा है। उन्होंने सवाल किया, 'प्रतिबंध कहां है? यह आपके दिमाग में है। कहीं कोई पाबंदी नहीं है। प्रतिबंधों को लेकर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं।' कश्मीर में सभी 196 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा

लिया गया है। सिर्फ आठ थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। लोग आजादी से कहीं भी आ जा रहे हैं। देश के दूसरे क्षेत्रों के पत्रकार भी कश्मीर बिना रोक-टोक आ रहे हैं। इमरान खान को जवाब : शाह ने कश्मीर में कर्फ्यू को लेकर अपने बयान से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भी जवाब दे दिया है। इमरान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि कश्मीर से जब कर्फ्यू हटाया जाएगा तब वह खुश खराबा होगा।

**राज्य में तहसील और जिला पंचायत के चुनावों की घोषणा चार से पांच दिनों के भीतर**

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में तहसील और जिला पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा चार से पांच दिनों के भीतर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यहां त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली पूरी तरह से लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। शाह ने कहा कि राज्य के 40 हजार गांवों में ग्राम पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन गांवों के विकास के लिए सरकार 70 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। ये पैसे सीधे ग्राम प्रधानों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले यह पैसा सचिवालय स्तर से नीचे तक पहुंचता ही नहीं था।

कनेक्शन दिए गए हैं और छह हजार से ज्यादा पीसीओ खुले हैं। सच्चा इतिहास लिखने का वक्त : कांग्रेस पर कश्मीर के इतिहास को तोड़-मरोड़कर जनता के सामने रखने का आरोप लगाते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसा जान गंवावी पड़ी। लेकिन कोई भी जवानों, उनकी विधवाओं या अनाथ हुए उनके बच्चों के मानवाधिकारों की बात नहीं करता। परंतु, कुछ दिनों से मोबाइल सेवा बंद होने पर लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फोन कनेक्शन का नहीं होना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है। शाह ने कहा कि पिछले दो महीने में घाटी में 10 हजार नए लैंडलाइन

**पटना में अस्पताल-घरों में भरा पानी, सड़क पर चलीं नाव**



जागरण टीम, पटना

बारिश ने रविवार को भी पटना समेत पूरे बिहार में कहर बरपाया। मूसलधार बारिश से पानी घरों और अस्पताल में घुस गया है। छह-सात फीट तक जलभराव के चलते लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। पटना में जिला प्रशासन ने फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए डेढ़ दर्जन नावें चलाई हैं। लगातार बारिश से उत्तर बिहार और कोसी-सीमांचल की नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। तेज हवा से कई स्थानों पर पेड़ और घर गिर रहे हैं। बिजली आपूर्ति ठप रही। रेल, हवाई और पूरा कश्मीर हमारा होता

में सभी स्कूल मंगलवार तक बंद हैं। पटना विवि, मगध व पाटलिपुत्र विवि के कॉलेज भी सोमवार को बंद रहेंगे। परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पटना में पीड़ितों के बीच रहत सामग्री का वितरण करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने वायुसेना के दो हेलीकॉप्टरों की मांग की है। अन्य जिलों में भी हालात बदतर : छपरा जिला प्रशासन ने बारिश को आपदा घोषित कर अफरुकों-कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। छपरा- बलिया रेलखंड पर बांसडीह-सीमांचल की नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। तेज हवा से कई स्थानों पर पेड़ और घर गिर रहे हैं। बिजली आपूर्ति ठप रही। रेल, हवाई और पूरा कश्मीर हमारा होता

राजधानी पटना में शुक्रवार रात से अब तक 225 मिमी से ज्यादा बारिश

पटना के राजेंद्रनगर कॉलोनी में लोगो को घरों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाते एसडीआरएफ की टीम। जागरण

**लालू के घर में गंभीर हुआ सास,ननद और बहू का झगड़ा**

राज्य ब्यूरो, पटना

लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने रविवार को सास राबड़ी देवी पर धक्के मारकर निकाला गया



पटना के महिला हेल्थलाइन में पारिवारिक विवाद की शिकायत लेकर पहुंची ऐश्वर्या (दाएं)। जागरण

लौटने की कोशिश की तो राबड़ी देवी ने खुद को खरपा बजाते हुए बहू को घर में आने से रोक दिया। इसके बाद ऐश्वर्या माता-पिता के साथ धरने पर बैठ गईं। परिवार में यह ड्रामा तब हुआ जब तेजस्वी यादव तीन दिनों से दिल्ली में हैं।

मौसा नहीं बसने देना चाहतीं मेरा घर : ऐश्वर्या ने कहा, मौसा अक्सर ससुराल से निकल जाने के लिए दबाव बनाती हैं। कहती हैं कि तुम यहां रहोगी तो तेजप्रताप जहर खा लेगा। ऐश्वर्या बोलीं, शादी के बाद भी मौसा काफी समय से मायके में ही रह रही हैं। मौसा ही तेजप्रताप और तेजस्वी में दरार डाल रही हैं।

ऐश्वर्या ने कहा, लोकसभा चुनाव में जदद की हार के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। लालू, तेजस्वी से नहीं शिकायत : ऐश्वर्या ने कहा, अगर वह (लालू) यहां होते तो चीजें ठीक कर देते। तेजस्वी यादव के लिए कहा कि उनका सहयोग मुझे मिलता रहता है। ऐश्वर्या के पिता एवं विधायक चंद्रिका राय ने सचिवालय थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञात हो, ऐश्वर्या और तेजप्रताप की शादी 2018 में 12 मई को हुई थी। दो नवंबर को तेजप्रताप ने पटना की अदालत में तलाक की अर्जी दे दी।

मैं पति तेजप्रताप के साथ रिश्ते ठीक करना चाहती हूँ। तलाक का केस फाइन होने के बाद भी उनके साथ रह रही हूँ। लेकिन ससुराल में ऐसे व्यवहार किया जाता है, जैसे हमारा तलाक हो चुका है। -ऐश्वर्या राय

जैसे मैं पटना में रहती ही नहीं हूँ तो बाबी के शर्म महसूस करती हूँ। सास-बहू की लड़ाई में अक्सर ननद को भी घसीटा जाता है। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। -मौसा भारती

लालू परिवार से रिश्ते की बात पर अब शर्म महसूस होती है। मुझे थोड़ा भी एहसास होता कि ये लोग इस तरह का व्यवहार करेते तो मैं अपनी बेटी की शादी यहां नहीं करता। -चंद्रिका राय, ऐश्वर्या के पिता

हमें दामाद तेजप्रताप यादव से मिलने तक नहीं दिया जाता है। मेरी कोशिश थी कि बेटी और दामाद में किसी तरह से सुलह हो जाए, किंतु जब मुलाकात ही नहीं होगी तो बातचीत और सुलह कैसे हो सकती है। -पूर्णिमा राय, ऐश्वर्या की मां

**सभी सिख विरोधी दंगा पीड़ित को मुफ्त मिलेगी 400 यूनिट बिजली**

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा दो साल पहले शुरू की गई 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना का लाभ अब दिल्ली में रह रहे सिख दंगा पीड़ित को मिलेगा। पहले इसका लाभ उन्हें ही मिलता था जिनके पास सरकार के लिए फ्लैट हैं।

**सभी सिख विरोधी दंगा पीड़ित को मुफ्त मिलेगी 400 यूनिट बिजली**

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा दो साल पहले शुरू की गई 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना का लाभ अब दिल्ली में रह रहे सिख दंगा पीड़ित को मिलेगा। पहले इसका लाभ उन्हें ही मिलता था जिनके पास सरकार के लिए फ्लैट हैं।

राज्य में होने वाले उप चुनाव में प्रेम सिंह तवांग के लड़ने का रास्ता हुआ साफ

10 अगस्त 2018 को जेल की सजा पूरी होने के साथ शुरू हुई थी रोक के छह महीने के भीतर विधानसभा सदस्य बनना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवांग को अयोग्यता अवधि में हटा देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रेम सिंह तवांग को 1990 में पशुपालन विभाग की गाय बांटने की योजना में सरकारी धन में अनियमितता करने का दोषी पाया गया था। तवांग ने जुलाई महीने में चुनाव आयोग से अयोग्यता अवधि में जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत राहत देने की मांग की थी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अयोग्यता अवधि में हटा देता है। प्रेम सिंह तवा